अनुदान संख्या 51 - पुलिस
GRANT No. 51 - POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*7,78,00*	*3,08,14*	*-4,69,86*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	108498,01,00	111480,38,00	108290,18,44	-3190,19,56
पूरक	Supplementary	2982,37,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				729,52,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
मूल	*Original*	*6,57,00*	*6,70,00*	*3,72,01*	*-2,97,99*
पूरक	*Supplementary*	*13,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	10521,98,00	10522,00,00	8212,68,64	-2309,31,36
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1601,63,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* भाग में, *₹182.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के तहत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत भाग में, कुल बचत (₹319019.56 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹298237.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थी।

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of ₹182.00 lakhs* remained wholly unutilized under two heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹319019.56 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹298237.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 28 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	10341579.00			
पू.	S.	298235.00	10719166.00	10551677.80	-167488.20
पु.	R.	79352.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to State Governments				
मू.	O.	403556.00			
पू.	S.	1.00	169459.00	124214.85	-45244.15
पु.	R.	-234098.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	104666.00			
पू.	S.	1.00	186461.00	153125.79	-33335.21
पु.	R.	81794.00			

(I) सत्रह मदों के अंतर्गत ₹155691.50 लाख का प्रावधान (₹0.50 लाख के सांकेतिक अनुपूरक अनुदान सहित) पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹154940.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹155691.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) remained wholly unutilised under seventeen heads; of these ₹154940.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्य को अन्य हस्तांतरण/अनुदान – विशेष सहायता" –

(A) Major Head "3601" - "Other Transfers/ Grants to State - Special Assistance" -

(क) "तटीय सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकारों को अनुदान" – ₹1000.00 लाख;

(a) "Grants to State Governments under Coastal Security Scheme" - ₹1000.00 lakhs;

(ख) "महिला हेल्प डेस्क/एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग" – ₹2800.00 लाख; और

(b) "Women Help Desk/Anti Human Trafficking" - ₹2800.00 lakhs; and

(ग) "फोरेंसिक के आधुनिकीकरण की योजना" – ₹28500.00 लाख।

(c) "Scheme for Modernisation of Forensic" - ₹28500.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के तहत प्रावधान प्रस्तावों का अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

Provisions under the above three heads were due to non-finatisation of proposals.

(घ) "इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कार्यान्वयन" – ₹45360.00 लाख – राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(d) "Implementation of Inter Operable Criminal Justice System" - ₹45360.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from States/Union Territories and non-finalisation of proposals.

(ङ) "जेलों का आधुनिकीकरण" – ₹33000.00 लाख; और

(च) "आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)" – ₹10000.00 लाख।

प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(e) "Modernisation of Prisons"- ₹33000.00 lakhs; and

(f) "Emergency Response Support System (ERSS)" - ₹10000.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilized due to non-finalization of proposals.

(खा) मुख शीर्ष "3602" – "विधान मंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अन्य अनुदान हस्तांतरण – विशेष सहायता" –

(B) Major Head "3602" - "Other Transfers/ Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Special Assistance" -

(क) "निर्भया फंड से वित्त पोषित योजनाएं" – ₹28980.00 लाख – व्यय विभाग द्वारा धन के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया की शुरूआत के कारण शीर्षों के गैर–संचालन के कारण।

(a) "Schemes financed from Nirbhaya Fund" - ₹28980.00 lakhs - due to non-operation of heads owing to introduction of revised procedure for flow of funds by Department of Expenditure.

(ख) "इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कार्यान्वयन" – ₹1500.00 लाख;

(b) "Implementation of inter Operable Criminal Justice System" - ₹1500.00 lakhs ;

(ग) "आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)" – ₹800.00 लाख;

(c) "Emergency Response Support System (ERSS)" - ₹800.00 lakhs ;

(घ) "जेलों का आधुनिकीकरण" – ₹2000.00 लाख; और

(d) "Modernization of Prisons" - ₹2000.00 lakhs; and

(ड़) "फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना" – ₹1000.00 लाख।

(e) "Scheme for Modernization of Forensic Capacities" - ₹1000.00 lakhs.

प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण उपरोक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non-finalization of proposals.

(II) मुख्य शीर्ष "2055" के तहत प्राप्त अनुपूरक अनुदान– प्रत्येक के सम्मुख दर्शाये गये निम्नलिखित शीर्षों के तहत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा :–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" - remained wholly unutilized under the following heads as shown against each :-

(का) "निदेशन और प्रशासन – इंटेलिजेंस ब्यूरो" – ₹303906.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7655.00 लाख का

(A) "Direction and Administration - Intelligence Bureau" - the original provision of ₹303906.00 lakhs

पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹311561.00 लाख तक बढ़ाया गया था। तथापि, भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण रिक्त पदों को न भरने के कारण ₹30818.96 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

was augmented to ₹311561.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7655.00 lakhs. However, there was a saving of ₹30818.96 lakhs (including supplementary grant) - due to non- filling up of vacant posts owing to delay in recruitment process.

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(B) "Education and Training" -

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹16063.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹460.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹16523.00 लाख तक बढ़ाया गया था। तथापि, मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन के लिए सौंपे गए संकाय, परिवीक्षाधीन और कर्मचारियों और फेकल्टी के संबंध में कम वेतन और भत्ते के दावों की प्राप्ति के कारण ₹1606.87 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(a) "National Police Academy" - the original provision of ₹16063.00 lakhs was augmented to ₹16523.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹460.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1606.87 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less pay and allowances claims in respect of faculty, probationers and staff and faculty delegated for MoU with Maldives.

(ख) "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान" – ₹214.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹145.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹359.00 लाख तक बढ़ाया गया था। तथापि, रिक्त पदों को न भरने और कम सलाहकारों को नियुक्त करने के कारण ₹302.71 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(b) "Central Armed Police Forces Institute of Medical Science" - the original provision of ₹214.00 lakhs was augmented to ₹359.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹145.00 lakhs. However, there was saving of ₹302.71 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and hiring of less consultants.

(गा) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस – स्थापना" – ₹2871969.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹54428.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2926397.00 लाख तक बढ़ाया गया था। तथापि, महंगाई भत्ते के बकाया के लिए कम धनराशि की आवश्यकता और उच्च ऊंचाई हीटिंग उद्देश्य के लिए सुपीरीयर केरोसीन ऑयल की गैर–खरीद के कारण ₹54503.67 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(C) "Central Reserve Police - Establishment" - the original provision of ₹2871969.00 lakhs was augmented to ₹2926397.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹54428.00 lakhs. However, there was saving of ₹54503.67 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards arrears of dearness allowances and non-procurement of Superior Kerosene Oil for high altitude heating purpose.

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड – स्थापना" – ₹115507.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1961.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹117468.00 लाख तक बढ़ाया गया था। तथापि, कम दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹6748.69 लाख (पूरक

(D) "National Security Guard - Establishment" - the original provision of ₹115507.00 lakhs was augmented to ₹117468.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1961.00 lakhs. However, there was saving of ₹6748.69 lakhs (including

अनुदान सहित) की बचत हुई।

supplementary grant) - due to receipt of less claims, less tours undertaken and non-finalization of proposals.

(डा) "औद्योगिक सुरक्षा बल – निदेशन एवं प्रशासन" – ₹1275571.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹12920.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1288491.00 लाख तक बढ़ाया गया था। तथापि, विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में देरी, रिक्त पदों को न भरने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने और नई परियोजनाओं को मूर्त रूप न देने के कारण ₹16340.74 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(E) "Industrial Security Force - Direction and Administration" - the original provision of ₹1275571.00 lakhs was augmented to ₹1288491.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12920.00 lakhs. However, there was saving of ₹16340.74 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in recruitment process for various posts, non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals and non-materialisation of new projects.

(III) मुख्य शीर्ष "2055" के तहत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सम्मुख दर्शायी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः –

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each :-

(का) "निदेशन एवं प्रशासन" –

(A) "Direction & Administration" -

(क) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹13760.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹350.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹14110.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, तथापि, एमएसीपी योजना के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण ₹302.80 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Narcotics Control Bureau" - the original provision of ₹13760.00 lakhs was augmented to ₹14110.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹350.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹302.80 lakhs - due to requirement of less funds towards MACP Scheme.

(ख) "राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी" – ₹18843.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1501.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹20344.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरने और आतंकवाद निरोध पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का मूर्त रूप न लेने के कारण ₹852.19 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "National Investigation Agency" - the original provision of ₹18843.00 lakhs was augmented to ₹20344.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1501.00 lakhs which, however, remained unutilized to extent of ₹852.19 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and non-materialisation of Ministerial conference on counter terrorism.

(खा) "असम राइफल्स – स्थापना और प्रशासन" – ₹642356.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4173.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹646529.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरने, काम की धीमी गति और प्रस्तावों का मूर्त रूप न ले पाने के कारण ₹1801.95 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Assam Rifles - Establishment and Administration" - the original provision of ₹642356.00 lakhs was augmented to ₹646529.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4173.00 lakhs which, however, remained unutilized to extent of ₹1801.95 lakhs - due to non-filling up of vacant

posts, slow pace of work and non-materialization of proposals.

(गा) "सशस्त्र सीमा बल – स्थापना" – ₹752336.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹12697.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹765033.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, तथापि, रिक्त पदो को न भरने, बल कर्मियों के स्थानांतरण, कम चिकित्सा दावे प्राप्त करने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण ₹7453.41 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Sashastra Seema Bal - Establishment" - the original provision of ₹752336.00 lakhs was augmented to ₹765033.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12697.00 lakhs which, however, remained unutilised to extent of ₹7453.41 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, transfer of force personnel, receipt of less medical claims and non-finalization of proposals.

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

(IV) Under Major Head "2055" - savings occurred under the following heads :-

(का) "निदेशन और प्रशासन – केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का विभागीय लेखा संगठन" – ₹653.75 लाख की बचत (₹93.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹13293.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद प्रस्तावों की कम प्राप्ति और कम सलाहकारों की नियुक्ति के कारण थी।

(A) "Direction & Administration - Departmental Accounting Organization of Central Armed Police Forces" - saving of ₹653.75 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13293.00 lakhs including supplementary grant of ₹93.00 lakhs) was due to less receipt of procurement proposals and hiring of less consultants.

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(B) "Education and Training" -

(क) "सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल" – रिक्त पदों को न भरने और कम प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के कारण ₹786.04 लाख (₹3123.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(a) "Central Detective Training School" - saving of ₹786.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3123.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and conduction of less training courses.

(ख) "उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी" – ₹606.49 लाख की बचत (₹35.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित ₹3655.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, अकादमी भवन नवीकरण का काम पूरा न होने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न होने के कारण हुई।

(b) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹606.49 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3655.00 lakhs including supplementary grant of ₹35.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-completion of renovation of academy buildings and non-conduction of training programmes.

(ग) "सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग" – ₹1118.17 लाख की बचत (₹30.00 लाख के पूरक अनुदान

(c) "Central Academy for Police Training" - saving of ₹1118.17 lakhs (against the total

सहित ₹2999.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

sanctioned provision of ₹2999.00 lakhs including supplementary grant of ₹30.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(गा) "अनुसंधान – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो"– ₹751.88 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4544.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और कम सलाहकारों की भर्ती करने के कारण थी।

(C) "Research - Bureau of Police Research & Development" - saving of ₹751.88 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4544.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and hiring of less consultants.

(घा) "आपराधिक जांच और सतर्कता" –

(D) "Criminal Investigation and Vigilance" -

(क) "केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला" – रिक्त पदों को न भरने और फोरेंसिक पेशेवरों को काम पर रखने में देरी के कारण ₹1042.58 लाख की बचत (₹19.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹5759.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of ₹1042.58 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5759.00 lakhs including supplementary grant of ₹19.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in hiring of forensic professionals.

(ख) "इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कार्यान्वयन" – राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और काम की धीमी गति के कारण ₹4604.45 लाख की बचत (₹12200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Implementation of Inter Operable Criminal Justice System" - saving of ₹4604.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from States and slow pace of work.

(ग) "आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ई आर एस एस)" – ₹2311.30 लाख की बचत (₹4201.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) काम की धीमी गति, कम प्रकाशन संबंधी कार्य और कम विज्ञापनों के कारण हुई।

(c) "Emergency Response Support System (ERSS)" - saving of ₹2311.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4201.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to slow pace of work, less publishing related work and less advertisements.

(डा) "विशेष पुलिस" –

(E) "Special Police" -

(क) "अनुसंधान" – ₹13505.28 लाख की बचत (₹76422.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावों की प्राप्ति, संविदात्मक दायित्वों की

(a) "Research" - saving of ₹13505.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹76422.00 lakhs) was due to receipt of less

पूर्ति न होने, संविदाकार्योत्तर भुगतान में देरी और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावों/मांग की प्राप्ति के कारण हुई।

claims, non-fructification of contractual obligations, delay in milestone payments and receipt of less claims/demand from the implementing agencies.

(ख) "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र" – खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने, रिक्त पदों को न भरने और कम सलाहकारों को काम पर रखने के कारण ₹4019.58 लाख (₹5900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(b) "Indian Cyber Crime Coordination Centre" - saving of ₹4019.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5900.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement proposals, non-filling up of vacant posts and hiring of less consultants.

(चा) "वायरलेस और कंप्यूटर" –

(F) "Wireless and Computers" -

(क) "अंतर–राज्य पुलिस वायरलेस योजना" – ₹1264.76 लाख की बचत (₹7999.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने, काम की धीमी गति और जीर्णोद्धार कार्य के कारण आरपीसीटीसी, गांधी नगर में पाठ्यक्रमों का गैर–संचालन के कारण हुई।

(a) "Inter-State Police Wireless Scheme" - saving of ₹1264.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7999.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals, slow pace of work and non-conduction of courses at RPCTC, Gandhi Nagar owing to renovation work.

(ख) "राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो" – रिक्त पदों को न भरने के कारण ₹2343.04 लाख (₹7147.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(b) "National Crime Records Bureau" - saving of ₹2343.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7147.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(छा) "आरक्षित निधि/जमा खातों में स्थानांतरण – निर्भया फंड में स्थानांतरण" – कम दावों/प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण ₹10000.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(G) "Transfers to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Nirbhaya Fund" - saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to receipt of less claims/proposals.

(जा) "अन्य व्यय" –

(H) "Other Expenditure" -

(क) "आंसू धुआं सामग्री की खरीद, निर्माण और वितरण" – ₹890.48 लाख की बचत (₹41.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹5339.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनसी–1055 की खरीद के लिए मंजूरी न मिलने के कारण थी।

(a) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹890.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5339.00 lakhs including supplementary grant of ₹41.00 lakhs) was due to non-receipt of sanction for procurement of NC-1055.

(ख) "अन्य सरकारों/विभागों को भुगतान किया गया शुल्क" – रिक्त पद न भरने और कम सलाहकारों को काम पर रखने के कारण ₹3793.31 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Charges paid to other Govts./Deptts" - saving of ₹3793.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant post and hiring of less consultants.

(ग) "निर्भया फंड प्रोजेक्ट" – खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹645.61 लाख (₹3397.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(c) "Nirbhaya Fund Project" - saving of ₹645.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3397.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement proposals.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई: –

(V) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads: -

(का) "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/शेयर" –

(A) "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" -

(क) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹87524.79 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹190048.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(a) "Modernization of Police Forces" - saving of ₹87524.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹190048.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh); and

(ख) "सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹43537.75 लाख की बचत (₹54936.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(b) "Border Area Development Programme" - saving of ₹43537.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54936.00 lakhs).

उपरोक्त दो शीर्षों के तहत बचत राज्यों से कम दावे प्राप्त होने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from states and non-finalization of proposals.

(खा) "राज्यों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान – विशेष सहायता" –

(B) "Other Transfers/Grants to States - Special Assistance" -

(क) "पुलिस संबंधी खर्चों के लिए अनुदान/प्रतिपूर्ति"– प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹3443.33 लाख (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(a) "Grants/Reimbursement for Police Related Expenses" - saving of ₹3443.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals.

(ख) "निर्भया फंड से वित्तपोषित योजनाएं" – व्यय विभाग द्वारा धन के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया

(b) "Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹23912.00 lakhs (against the

शुरू करने के कारण शीर्षों के गैर–संचालन, राज्यों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति और सीएनए (केंद्रीय नोडल एजेंसी) दिशानिर्देशों का अनुपालन के कारण ₹23912.00 लाख की बचत (₹32412.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

sanctioned provision of ₹32412.00 lakhs) was due to non-operation of heads owing to introduction of revised procedure for flow of funds by Department of Expenditure, less receipt of proposals from states and compliance of CNA (Central Nodal Agency) guidelines.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹933.48 लाख की बचतें हुई, प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक थी परन्तु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 53 प्रतिशत थी।

(VI) Under three heads savings of ₹933.48 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 53 percent of the sanctioned provision.

3. उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹205434.00 लाख) उपयोग पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹298236.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था :–

3. The above savings were partly (₹205434.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹298236.00 lakhs under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" –

(A) Major Head "2055" -

(क) "निदेशन और प्रशासन – आप्रवासन ब्यूरो" – ₹7750.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4433.95 लाख था।

(a) "Direction and Administration - Bureau of Immigration" - ₹7750.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4433.95 lakhs.

(ख) "शिक्षा और प्रशिक्षण – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय" – ₹999.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹998.70 लाख था।

(b) "Education and Training - Rashtriya Raksha University" - ₹999.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹998.70 lakhs.

(ग) "आपराधिक जांच और सतर्कता" –

(c) "Criminal Investigation and Vigilance" -

(i) "निर्भया फंड से वित्त पोषित योजनाएं" – ₹4280.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1386.21 लाख था।

(i) "Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - ₹4280.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1386.21 lakhs.

(ii) "फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना" – ₹24499.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹18249.00 लाख था।

(ii) "Scheme of Modernization of Forensic Capacities" - ₹24499.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹18249.00 lakhs.

(iii) "जेलों का आधुनिकीकरण" – ₹4999.00 लाख।

(iii) "Modernization of Prisons" - ₹4999.00 lakhs.

(घ) "सीमा सुरक्षा बल" –

(i) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹11969.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2877.09 लाख था।

(ii) "भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹8829.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5544.62 लाख था।

(ड) "दिल्ली पुलिस – निदेशन और प्रशासन" – ₹47640.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹37297.81 लाख था।

(च) "सीमा प्रबंधन" –

(i) "भारत–बांग्लादेश सीमा कार्य" – ₹1200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1156.75 लाख था।

(ii) "भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को अनुदान"– ₹6025.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5043.72 लाख था।

(d) "Border Security Force" -

(i) "Directorate General of Border Security Force" - ₹11969.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2877.09 lakhs.

(ii) "Indo-Tibetan Border Police" - ₹8829.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5544.62 lakhs.

(e) "Delhi Police" - "Direction and Administration" - ₹47640.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹37297.81 lakhs.

(f) "Border Management" -

(i) "Indo-Bangladesh Border Works" - ₹1200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1156.75 lakhs.

(ii) "Grants to Land Port Authority of India" - ₹6025.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5043.72 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/शेयर – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹87244.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹82889.79 लाख था।

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Modernization of Police Forces" - ₹87244.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹82889.79 lakhs.

4. अनुदान के पूंजीगत खंड के *प्रभारित* भाग में, कुल बचत (*₹297.99 लाख*) मार्च, 2023 में प्राप्त *₹13.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 45 प्रतिशत थी।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹297.99 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹13.00 lakhs* obtained in March, 2023 and constituted 45 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचतें निम्नलिखित तौर पर हुई :–

Savings occurred as under :-

(I) दो शीर्षों के तहत *₹107.00 लाख* का *विनियोग* पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹107.00 lakhs* remained wholly unutilized under two heads.

5. अनुदान के पूंजीगत खंड के स्वीकृत वाले भाग में बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ :–

5. In the voted portion of the capital section of the grant savings/excess occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	957948.00			
पू.	S.	2.00	892037.00	821268.64	-70768.36
पु.	R.	-65913.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	94250.00			
			..	..	..
पु.	R.	-94250.00			

(I) ₹94553.11 लाख का प्रावधान (दिसम्बर 2022 में प्राप्त ₹0.11 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) 15 शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; जिनमें ₹94250.00 लाख की राशि मुख्य शीर्ष "4552" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थी :

(I) Provision of ₹94553.11 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.11 lakh obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under fifteen heads; of these ₹94250.00 lakhs accounted for under major head "4552" under the following heads:-

(का) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – असम राइफल्स"–

(A) "Capital Outlay on Police - Assam Rifles" -

(क) "आवासीय भवन" – ₹10200.00 लाख;

(a) "Residential Building" - ₹10200.00 lakhs;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹13800.00 लाख;

(b) "Office Building" - ₹13800.00 lakhs;

(खा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सीमा सुरक्षा बल"–

(B) "Capital Outlay on Police - Border Security Force" -

(क) "आवासीय भवन" – ₹3000.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹3000.00 लाख;

(गा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सशस्त्र सीमा बल"–

(क) "आवासीय भवन" – ₹6857.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹14020.00 लाख;

(घा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹1000.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹1373.00 लाख;

(डा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सीमा प्रबंधन" –

(क) "भारत–बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य" – ₹19300.00 लाख;

(ख) "भारत–चीन सीमा" – ₹19200.00 लाख;

(चा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – भारत – तिब्बत सीमा बल पुलिस" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹1000.00 लाख; और

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹1500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत उत्तर–पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए धन का कार्यशील शीर्षों मे पुनर्विनियोग किये जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के तहत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(a) "Residential Building" - ₹3000.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹3000.00 lakhs;

(C) "Capital Outlay on Police" - "Sashastra Seema Bal" -

(a) "Residential Building" - ₹6857.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹14020.00 lakhs;

(D) "Capital Outlay on Police" - Central Reserve Police Force-

(a) "Residential Building" - ₹1000.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹1373.00 lakhs;

(E) "Capital Outlay on Police - Border Management" -

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - ₹19300.00 lakhs;

(b) "Indo-China Border" - ₹19200.00 lakhs;

(F) "Capital Outlay on Police - Indo Tibetan Border Police" -

(a) "Residential Building" - ₹1000.00 lakhs; and

(b) "Office Building" - ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads :-

(का) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹24782.57 लाख की बचत (₹54250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य की धीमी गति और स्वच्छता कार्य योजना से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "आवासीय भवन" – निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण ₹18815.74 लाख (₹36890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(ग) "सामान्य" – ₹13167.97 लाख की बचत (₹61048.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की डिलीवरी में देरी और फैब्रिकेशन ऑर्डर और मोटर वाहनों के ऑर्डर को देने में देरी के कारण हुई।

(घ) "आधुनिकीकरण" – काम की धीमी गति के कारण ₹4977.22 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(खा) "असम राइफल्स" –

(क) "सामान्य" – ₹1710.72 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹23470.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टोर उपकरणों की आपूर्ति में देरी के कारण हुई थी।

(ख) "आधुनिकीकरण" – 05 बहुउद्देश्यीय वाहनों की खरीद में जीएसटी में कमी के कारण ₹626.95 लाख (₹3846.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(A) "Central Reserve Police" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹24782.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54250.00 lakhs) was due to slow pace of construction work and non-finalisation of proposals related to Swacchata Action Plan.

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹18815.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36890.00 lakhs) was due to slow pace of construction work.

(c) "General" - saving of ₹13167.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹61048.00 lakhs) was due to delay in delivery of vehicles and delay in placing of fabrication orders and orders of motor vehicles.

(d) "Modernisation" - saving of ₹4977.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to slow pace of work.

(B) "Assam Rifles" -

(a) "General" - saving of ₹1710.72 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹23470.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2022) was due to delay in supply of stores equipments.

(b) "Modernisation" - saving of ₹626.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3846.00 lakhs) was due to reduction of GST in purchase of 05 number of Multi-Purpose Vehicles.

(गा) "सीमा सुरक्षा बल" –

(क) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹38947.95 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.08 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹106459.08 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव/कार्य एवं योजनाओं के गैर–मूल्यांकन/अनुमोदन के कारण थी।

(ख) "भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹13835.93 लाख की बचत (फरवरी, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.45 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹78232.45 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड में खराब मौसम की स्थिति, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना, योजनाओं को मंजूरी न देना और मशीनरी एवं उपकरणों की आपूर्ति न होने के कारण हुई थी।

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" –

(क) "कार्यालय भवन" – काम की धीमी गति के कारण ₹6274.30 लाख (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(ख) "सामान्य" – प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने और मशीनरी तथा उपकरणों की आपूर्ति न होने के कारण ₹9821.32 लाख (₹14250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(ग) "आधुनिकीकरण" – ₹2902.10 लाख की बचत (₹2903.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुबंधों की समाप्ति और विक्रेताओं की गैर–भागीदारी के कारण खरीद प्रस्तावों और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के मूर्त रूप ने लेने के कारण हुई।

(C) "Border Security Force" -

(a) "Directorate General of Border Security Force" - saving of ₹38947.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹106459.08 lakhs including token supplementary grant of ₹0.08 lakh obtained in March, 2023) was due to non-appraisal/approval of proposals/works & schemes.

(b) "Indo-Tibetan Border Police" - saving of ₹13835.93 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹78232.45 lakhs including token supplementary grant of ₹0.45 lakh obtained in February, 2022 and March, 2023) was due to inclement weather condition in NE region, Uttrakhand, non-finalisation of proposals non-approval of schemes and non-supply of machinery & equipments.

(D) "National Security Guard" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹6274.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to slow pace of work.

(b) "General" - saving of ₹9821.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14250.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals and non-supply of machinery and equipments.

(c) "Modernisation" - saving of ₹2902.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2903.00 lakhs) was due to termination of contracts and non-materialization of procurement proposals and Life Support Ambulance owing to non-participation of vendors.

(घ) "आवासीय भवन" – प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹3086.01 लाख (₹3345.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(d) "Residential Buildings" - saving of ₹3086.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3345.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(ङा) "औद्योगिक सुरक्षा बल" –

(E) "Industrial Security Force"-

(क) "कार्यालय भवन" – ₹6403.68 लाख की बचत (₹12092.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(a) "Office Buildings" - saving of ₹6403.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12092.00 lakhs);

(ख) "आवासीय भवन" – ₹9835.68 लाख की बचत (₹11615.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹9835.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11615.00 lakhs);

(ग) "सामान्य" – ₹3403.15 लाख की बचत (₹10300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(c) "General" - saving of ₹3403.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10300.00 lakhs); and

(घ) "आधुनिकीकरण" – ₹2044.85 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(d) "Modernisation" - saving of ₹2044.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs).

उपरोक्त चार मदों के अंतर्गत बचत कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to slow pace of work.

(चा) "विशेष पुलिस – निर्भया फंड से वित्तपोषित योजनाएं" – ₹2808.58 लाख की बचत (₹2855.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति न होने और संविदाकार्योत्तर भुगतान में देरी के कारण थी।

(F) "Special Police - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹2808.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2855.00 lakhs) was due to non-fructification of contractual obligations and delay in milestone payments.

(छा) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(G) "Research, Education and Training" -

(क) "सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल" – प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹3115.47 लाख (₹3251.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(a) "Central Detective Training School" - saving of ₹3115.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3251.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(ख) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹2576.20 लाख की बचत (₹4125.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) "National Police Academy" - saving of ₹2576.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4125.00 lakhs) ;

(ग) "पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" – ₹1030.14 लाख की बचत (₹1080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(c) "Bureau of Police Research and Development" - saving of ₹1030.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1080.00 lakhs); and

(घ) "उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी" – ₹2182.87 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2598.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(d) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹2182.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2598.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2022).

उपरोक्त तीन शीर्ष के अंतर्गत बचत कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to slow pace of work.

(ङ) "सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग" – ₹879.18 लाख की बचत (₹1480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) काम की धीमी गति और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(e) "Central Academy for Police Training" - saving of ₹879.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1480.00 lakhs) was due to slow pace of work and non-finalisation of proposals.

(जा) "दिल्ली पुलिस – दिल्ली पुलिस निर्माण कार्यक्रम" – ₹7920.00 लाख की बचत (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(H) "Delhi Police - Delhi Police Building Programme" - saving of ₹7920.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs); and

(I) "सशस्त्र सीमा बल" –

(I) "Sashastra Seema Bal" -

(क) "कार्यालय भवन" – ₹4345.61 लाख की बचत (₹11750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(a) "Office Buildings" - saving of ₹4345.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11750.00 lakhs).

उपरोक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to slow pace of work.

(ख) "आवासीय भवन" – ₹2922.11 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹2922.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs);

(ग) "सामान्य" – ₹5515.55 लाख की बचत (₹14500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(c) "General" - saving of ₹5515.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs); and

(घ) "आधुनिकीकरण" – ₹529.76 लाख की बचत (₹561.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थी।

(ञ) "सीमा प्रबंधन" –

(क) "भारत–बांग्लादेश सीमा कार्य" – ₹12603.13 लाख की बचत (₹57200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य की धीमी गति, सीमाओं पर फैंसिंग लगाने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

(ख) "भारत–पाक सीमा कार्य" – ₹4104.53 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.12 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹49644.12 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमाओं पर फैंसिंग लगाने के काम की धीमी गति और सड़कों का निर्माण और हाई–टेक निगरानी कार्य के कारण हुई थी।

(ट) "अन्य पुलिस संगठन" –

(क) "आंसू धुआं सामग्री की खरीद, निर्माण और वितरण" – ₹806.86 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1265.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) काम की धीमी गति और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण थी।

(ख) "समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस)" – ₹1732.84 लाख की बचत (₹2220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) "केंद्रीय फोरेंसिक – विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹816.28 लाख की बचत (₹2015.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(d) "Modernisation" - saving of ₹529.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹561.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of proposals.

(J) "Border Management" -

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - saving of ₹12603.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57200.00 lakhs) was due to slow pace of construction work, fencing of borders and non-finalisation of proposals.

(b) "Indo-Pak Border Works" - saving of ₹4104.53 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹49644.12 lakhs including token supplementary grant of ₹0.12 lakh obtained in December, 2022) was due to slow pace of fencing works on borders and construction of roads and High-tech Surveillance work.

(K) "Other Police Organization" -

(a) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹806.86 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1265.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2022) was due to slow pace of work and non-finalisation of proposals.

(b) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹1732.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2220.00 lakhs);

(c) "Central Forensic - Science Laboratory" - saving of ₹816.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2015.00 lakhs); and

(घ) "केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई)" – ₹610.21 लाख की बचत (₹842.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ड) "अनुसंधान" – ₹29974.31 लाख की बचत (₹132820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदात्मक दायित्व के पूरा न होने और संविदाकार्योत्तर भुगतान में देरी के कारण हुई।

(च) "आसूचना ब्यूरो" – काम की धीमी गति, तकनीकी उन्नयन और विभिन्न तकनीकी उपकरणों/ गैजेट्स की खरीद आदि के काम में देरी के कारण ₹7153.75 लाख (₹24900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(छ) "नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो" – ₹2132.42 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.33 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2725.33 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ज) "राष्ट्रीय जांच एजेंसी" – ₹2653.44 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.34 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4700.34 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के तहत ₹628.03 लाख की बचतें हुई, प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक थी और स्वीकृत प्रावधान का 58 प्रतिशत और 69 प्रतिशत थी।

6.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹13925.00 लाख) उपयोग पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए

(d) "Central Forensic Science Laboratory (CBI)" - saving of ₹610.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹842.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow pace of work.

(e) "Research" - saving of ₹29974.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹132820.00 lakhs) was due to non-fructification of contractual obligation and delay in milestone payment.

(f) "Intelligence Bureau" - saving of ₹7153.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24900.00 lakhs) was due to slow pace of work, delay in work of technical up-gradation and procurement of various technical equipment/gadgets etc.

(g) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹2132.42 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2725.33 lakhs including token supplementary grant of ₹0.33 lakh obtained in March, 2023); and

(h) "National Investigation Agency" - saving of ₹2653.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4700.34 lakhs including token supplementary grant of ₹0.34 lakh obtained in March, 2023).

Savings under the above two heads were due to slow pace of work.

(III) Under two heads savings of ₹628.03 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 58 percent and 69 percent of the sanctioned provision.

6. (I) The above savings were partly (₹13925.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by

किया गया था, जैसा कि दिसंबर, 2022 में मुख्य शीर्ष "4055" के तहत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत – ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पहले ही संसद को सूचित किया गया था।

(का) "असम राइफल्स" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹1489.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1285.33 लाख था;

(ख) "आवासीय भवन" – ₹1600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1200.00 लाख था।

(ग) "बॉर्डर आउट पोस्ट" – ₹2000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1999.95 लाख था।

(खा) "विशेष सुरक्षा समूह – कार्यालय भवन" – ₹666.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹665.96 लाख था।

(गा) "दिल्ली पुलिस" –

(क) "दिल्ली पुलिस आवास पर सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल" – ₹7900.00 लाख।

(ख) "क्षमता निर्माण" – ₹270.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹269.99 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4055" के तहत आधिक्य – "सीमा प्रबंधन" के तहत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी प्रतिसंतुलित हो गई :–

(का) "भारत–चीन सीमा" – ₹91488.11 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹53300.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईसीबीआर–I सड़कों के निर्माण, भूमि अधिग्रहण/आईसीबीआर–II सड़कों की वैधानिक मंजूरी, आईसीबी के साथ हेलीपैड के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2022 under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Assam Rifles" -

(a) "Office Building" - ₹1489.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1285.33 lakhs;

(b) "Residential Buildings" - ₹1600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1200.00 lakhs.

(c) "Border Out Post" - ₹2000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1999.95 lakhs.

(B) "Special Protection Group - Office Buildings" - ₹666.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹665.96 lakhs.

(C) "Delhi Police" -

(a) "Public Private Partnership Initiative on Delhi Police Housing" - ₹7900.00 lakhs.

(b) "Capacity Building" - ₹270.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹269.99 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4055" - "Border Management" - under the following heads :-

(A) "Indo-China Border" - excess of ₹91488.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹53300.00 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2022) was due to requirement of additional funds towards construction of ICBR-I roads, land acquisition/Statutory clearances of ICBR-II roads, Helipads along ICB and re-appropriation of funds from Major Head "4552" to

"4552" से कार्यात्मक शीर्षों के लिए धन के पुनर्विनियोजन के कारण था।

functional heads for utilisation on project/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) "भारत–म्यांमार सीमा कार्य" – ₹2180.97 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1800.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बकाया देनदारियों और नियोजित गतिविधियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(B) "Indo-Myanmar Border Works" - excess of ₹2180.97 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1800.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2022) was due to requirement of additional funds towards clearance of outstanding liabilities and completion of planned activities.

(गा) "भारत–नेपाल सीमा कार्य" – ₹13999.96 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹21000.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू कार्यों और परियोजना लागत में संशोधन.के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(C) "Indo-Nepal Border Works" - excess of ₹13999.96 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹21000.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh obtained in December, 2022) was due to requirement of additional funds towards ongoing works and revision of project cost.